भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 434

बुधवार, 20 नवंबर, 2019/29 कार्तिक, 1941(शक)

प्रवासी मजदूर कार्य बल

434. श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्र-वार प्रतिशत सहित प्रवासी मजदूर कार्यबल की कुल संख्या के अद्यतन आंकड़े क्या हैं तथा निर्माण, खनन, वस्त्र, घरेलू कार्य इत्यादि जैसे मुख्य उप-क्षेत्रों में नियोजित इन मजदूरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार नए प्रवासी श्रमिकों के शहरी जीवन में सुगम समायोजन को आसान बनाने के लिए जांच विभाग की स्थापना का विचार रखती है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) कामगारों का एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवसन एक सतत प्रक्रिया है और प्रवासी कामगार काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं तथा ऐसा कार्यबल अवसरों इत्यादि (जैसे कि अधिक वेतन, अवधि तथा कार्य की निरंतरता) के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होता रहता है, अत: ऐसे प्रवासी श्रमिक कार्यबल का रिकार्ड/आंकड़ें रखना संभव नहीं है।

तथापि, 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2011 की जनगणना में कार्यबल की संख्या 482 मिलियन थी तथा बहिर्वेशन के आधार पर, यह आंकड़ा वर्ष 2016 में 500 मिलियन को पार कर गया होगा। यदि कुल कार्यबल में प्रवासियों की हिस्सेदारी 20% तक होने का अनुमान है, तो वर्ष 2016 में प्रवासी कार्यबल की संख्या वास्तविक रूप में 100 मिलियन से अधिक होने का अनुमान किया जा सकता है।

(ख) भारत के भीतर रोजगार/बेहतर रोजगार अवसरों के लिए प्रवसन करने वाले प्रवासी कामगार के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

जारी....2/-

- सभी प्रधान नियोक्ताओं / ठेकेदारों का पंजीकरण
- ठेकेदारों को लाइसेंस देना
- पासबुक जारी करना
- न्यूनतम मजदूरी का भुगतान
- पुरूष और महिला कामगारों को एक जैसे कार्य के लिए समान मजदूरी का भुगतान
- यात्रा भत्ते का भुगतान
- विस्थापन भत्ते का भुगतान
- उपयुक्त रिहायशी आवास प्रदान करना
- निर्धारित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना
- संरक्षात्मक वस्त्र प्रदान करना।

*****